संघ लोक सेवा आयोग

भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020

उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन-प्रपत्र भरने के बारे में अनुदेश

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व उम्मीदवारों को इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएएफ) भरने से पूर्व, उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित संगत मूल दस्तावेजों को भी 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करना चाहिए और उसे अधिकतम 1 एमबी तक की अलग अलग पीडीएफ फाइल में परिवर्तित कर लें। इस प्रकार तैयार की गई पीडीएफ फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित नहीं होना चाहिए और यह विस्तृत आवेदन-प्रपत्र के ऑनलाइन जमा करते समय ही अपलोड की जानी चाहिए।

- (i) आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (ii) आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए परीक्षा के नोटिस के पैरा 3 (iii) और भारत के राजपत्र दिनांक भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिये 10 जून, 2020 और भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 के लिये 11 अगस्त, 2020 में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली के नियम 6 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्रों की स्कैन की गई प्रति।
- (iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागृ हो)।
- (iv) परिशिष्ट-। के पैरा बी-1 में उल्लिखित अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के मामले में उनके क्रीमी लेयर से संबंध न होने के उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति।
- (v) अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के रूप में रियायत प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के अनुबंध में दिए अनुसार विधिवत् रूप से भरे गए प्रोफार्मा की स्कैन की गई प्रति।
- (vi) आयु में रियायत, जहां कहीं लागू हो, के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति।
- (vii) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति (जहां कहीं लागू हो)।
- (viii) संबंधित उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित परिवचन की स्कैन की गई प्रति अगर पहले से सरकारी सेवा में हैं।
- (ix) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र हेतु ईडब्ल्यूएस अनुबंध के रूप में दिया गया विधिवतु भरा हुआ और हस्ताक्षरित प्रोफोर्मा ।

ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिप उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति सहित, सभी दस्तावेजों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ, साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार के अंतिम दिन, जिसकी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी, तक प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह भी नोट कर लिया जाए कि दस्तावेजों की जांच की अंतिम तिथि को किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह नोट कर लें कि वे मूल दस्तावेजों की केवल स्कैन की गई प्रतियां ही अपलोड करें। किसी भी दस्तावेज को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

- 2. उम्मीदवार द्वारा इस ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र में दी गई सूचना का मिलान इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र में पूर्व में दी गई सूचनाओं से किया जाएगा। यदि कोई गंभीर विसंगतियां पाई जाती हैं तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।
- 3. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी या उपमण्डल अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी से परिशिष्ट-। में दिए गए फार्म में प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। ऐसा अधिकारी, संबद्ध राज्य सरकार से यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पद नामित किया हो, यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो यह प्रमाण-पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आमतौर पर रहता है।
- 3.1 कोई उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ का दावा करता है तो उसे अपने दावे के समर्थन में परिशिष्ट-V में दिये गये फार्म में आय तथा संपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाणपत्र) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए।
- नोट I: उम्मीदवार यह नोट करें कि उनके अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ई.डब्ल्यू.एस./बेंच मार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों/पूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि (अर्थात भा.आ.से. के उम्मीद्वारों के लिये 01.09.2020 और भा.सा.से. के उम्मीद्वारों के लिये 31.06.2020) से पहले के होने चाहिए जैसा कि परीक्षा की नियमावली के नियम 20 में निर्दिष्ट किया गया है।

- नोट 2: अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि उनके प्रमाण-पत्र में दी गई उनकी जाति का नाम (वर्तनी सहित) ठीक वही होना चाहिए जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में प्रकाशित किया गया है। जिस प्रमाण-पत्र में जाति के नाम में किसी प्रकार की भिन्नता होगी, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- नोट 3: उम्मीदवार के अन्य पिछड़ी श्रेणी के होने के दावे का निर्धारण उस राज्य (या उस राज्य के किसी भाग) के आधार पर किया जाएगा, जिससे उसके पिता मूलत: सम्बद्ध हैं। अत:, वह उम्मीदवार जो एक राज्य (या राज्य के किसी भाग) से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर चुका है, उसे अन्य पिछड़ी श्रेणी का वह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जो उसे उसके पिता को उस राज्य जिससे वे (पिता) मूलत: संबद्ध हैं, से प्राप्त अन्य पिछड़ी श्रेणी के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया हो।
- नोट 4: आयोग, उम्मीदवार द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन-प्रपत्र में दर्शाई गई जातीय स्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा, सिवाय भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा नियम, 2020 के नियम 19 में उल्लिखित परिस्थितियों में।
- 4. उम्मीदवार वेबसाइट <u>www.upsc.gov.in</u> के माध्यम से संगत दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों सहित विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरें और उसे ऑनलाइन सब्मिट करें।
- 5. उम्मीदवार को आयु के प्रमाण-पत्र की (जिसमें जन्म की तारीख बताई गई है) की स्कैन की गई प्रति अपने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ भेजनी चाहिए। आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के या किसी मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत कर सकता है।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम तथा सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा ऐसे ही अन्य प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

अनुदेशों के इस भाग में "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

कभी-कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती है या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिए गए प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जहां से उसने मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस प्रमाण-पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-प्रपत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा-निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 6. उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिये दिनांक 10 जून, 2020 और भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 के लिये दिनांक 11 अगस्त, 2020 के नोटिस के पैरा 3(III) में निर्धारित शैक्षिक अर्हता दर्शाने वाले प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी चाहिए। यह प्रमाण-पत्र उस विशिष्ट योग्यता को प्रदान करने वाले प्राधिकरण (अर्थात् विश्वविद्यालय या अन्य परीक्षा निकाय) द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र हो उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की स्कैन प्रति ही अपलोड करनी चाहिए।
- टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा अथवा न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।
- 7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिये दिनांक 10 जून, 2020 और भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा, 2020 के लिये दिनांक 11 अगस्त, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा की नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि सम्मिलित हैं। वे यह नोट कर लें कि आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के संबंध में किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अत:, उम्मीदवारों को चाहिए कि वे सही रूप से आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विशेष सावधानी बरतें।

किसी भी प्रविष्टि के अपाठ्य या भ्रामक होने की स्थिति में, इसके परिणाम के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8(i) आयु में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक पुन: स्थापना, रक्षा मंत्रालय से परिशिष्ट-॥ में दिए गए फार्म पर इस आशय का एक प्रमाणपत्र लेकर इसकी स्कैन की गई प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए कि यह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए, विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांत क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुआ।

- (ii) आयु में छूट का दावा करने वाले ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारी जैसा उनके अपने मामले में अपेक्षित है, प्रमाण-पत्र की स्कैन की गई प्रति संबंद्ध प्राधिकारियों से लेकर **परिशिष्ट-III** में दिए गए प्रपत्र में प्रस्तुत करें।
- (iii) बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी का होने का दावा करने वाले उम्मीदवार को भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली के नियम 18 में उल्लिखित एक या उससे अधिक शारीरिक अपेक्षाओं/क्षमताओं को पूरा करना अपेक्षित होगा। उसे परिशिष्ट-V/परिशिष्ट-VI/परिशिष्ट-VII/अन्य में दिये गए फार्मैंट में केन्द्र/राज्य सरकार के अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी चाहिए।

टिप्पणी : आयु में छूट के पूर्वोक्त प्रावधान के बावजूद, बेंचमार्क श्रेणी के किसी उम्मीदवार को नियुक्ति हेतु अर्हक तभी माना जाएगा जब (सरकार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के उपरांत) यह पाया जाता है कि वह भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा बेंचमार्क विकलांगता श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानक संबंधी शर्तों को पूरा करता है।

9. उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 में उनकी उम्मीदवारी पूर्णत: अनंतिम है तथा उनकी निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर आधारित है। यदि परीक्षा के पहले या बाद में किसी स्तर पर जांच करने पर यह पाया गया कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी : लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को आयोग द्वारा मांगे जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व अनुप्रमाणित प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होंगा।

साक्षात्कार के समय उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों को, उनकी स्व-सत्यापित प्रतियों के एक सेट सहित प्रस्तुत करना होगा।

- 10. जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन-प्रपत्र सभी अनुलग्नकों रहित या कुछ अनुलग्नकों सहित प्राप्त होंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार यदि गायब अनुलग्नकों को बाद में भेजते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि आवेदन-प्रपत्र ऑनलाइन द्वारा ठीक से भरा गया है।
- 11. इस आवेदन के संबंध में आयोग से किए गए अपने समस्त पत्र-व्यवहार में उम्मीदवार परीक्षा का नाम, अपना पूरा नाम, अनुक्रमांक, पंजीकृत आई.डी. (11 अंकीय) तथा जन्म की तारीख अवश्य लिखें।
- 12. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं, उनको इस वचनबंध (अण्डरटेकिंग) (जैसा कि विस्तृत आवेदन-पत्र की घोषणा में है) की स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमित रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/ उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है (कृपया भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 की नियमावली का नियम 8 देखें)।

उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाने वाले वचनबंध का फॉर्म

उन्नादयार द्वारा जनलाड निजा जान प्रान्य प्रान्त
वचनबंध (सरकारी कर्मचारियों के लिए)
मैंने अपने कार्यालय प्रमुख/ विभाग को दिनांक को लिखित रूप में यह सूचित कर दिया है कि मैंने भारतीय आर्थिक
सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन किया है।
(हस्ताक्षर)
नाम :
अनुक्रमांक:
नोट : ऐसे सभी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से
नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत हैं,
उनको वचनबंध (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है
कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह नोट करना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके
उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है, तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत
किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

परिशिष्ट-I

(क) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*	सुपुत्र/सुपुत्री* श्री
जो गांव/कस्बा* जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य	य क्षेत्र* के/की* निवासी हैं
अनुसूचित जाति/जनजाति* के/की* है जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित	त जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है:-
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 @	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 @	
संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 @	
[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की सूची (संशोधन) आदेश,	1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन
अधिनियम, 1966; हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पू	् र्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जातियां
और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिज	गोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरूणाचल प्रदेश राज्य
अधिनियम, 1986 तथा गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987	7 द्वारा यथा संशोधित]
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 @	
संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजातियां आदेश	श, 1959, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातिया <u>ं</u>
(संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित@	
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 @	
संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 @	<u> </u>
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 @	
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1967 @	
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968 @	
संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968 @	
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 @	
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 @	
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1978 @	
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 @	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 @	
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 199	<u>91 @</u>
अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम	
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @	
संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन)	<u>) अधिनियम, 2002 @</u>
संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 (@
%2 अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां के ऐसे व्यक्तियों के मामले	ो में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ
राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन कर चुके हैं ।	
यह प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*	
जिला/मंडल⁺ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र⁺	जोति/ जनजाति* से संबद्ध
हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसृ	**
पिता/माता* श्री/श्रीमती* को को	द्वारा दिनांक को जारी प्रमाण-
पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।	
%3 श्री/श्रीमती/कुमारी* और/या* उनका परिवार आ	
जिला/मंडल* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*	
	हस्ताक्षर **पदनाम
	परापान (कार्यालय की मोहर)
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान-----

ताराख	

- * जो शब्द लागू न हों उसे कृपया काट दें।
- @ कृपया राष्ट्रपति का विशिष्ट आदेश उद्धृत करें।

% जो पैराग्राफ लागू न हों उसे कृपया काट दें।

नोट:- यहां "आमतौर से रहते/रहती हैं" का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

- ** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछःडे वर्ग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारियों की सूची:
- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी किमश्नर/एडीशनल डिप्टी किमश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/##सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेन्ट किमश्नर।

(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे का न हो)।

- (ii) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (iii) रेवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।
- (iv) उस इलाके का सब डिविजनल आफिसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।
- (v) प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

(ख) भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी* ------ सुपुत्र/सुपुत्री* श्री/श्रीमती ------ के गांव/कस्बा*----- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ----- के/की* निवासी हैं ------ समुदाय के हैं जिसे निम्नांकित के अधीन अन्य पिछड़ी श्रेणी होने की मान्यता प्राप्त है :-

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 186 में दिनांक 13 सितम्बर, 1993 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 का संकल्प सं012011/68/93-बी.सी.(सी.)।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 163 में दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 1994 का संकल्प सं012011/9/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 88 में दिनांक 25 मई, 1995 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1995 का संकल्प सं012011/7/95-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 60 में दिनांक 11 मार्च, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 1996 का संकल्प सं012011/96/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1996 का संकल्प सं012011/44/96-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 236 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/99/94-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 239 में दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 को प्रकाशित भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 का संकल्प सं012011/13/97-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 241 में दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 अक्तूबर, 1999 का संकल्प सं012011/68/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 270 में 6 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 का संकल्प सं012011/88/98-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 71 में दिनांक 4 अप्रैल 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का संकल्प सं012011/36/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 210 में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 21 सितम्बर, 2000 का संकल्प सं012011/44/99-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 246 में दिनांक 6 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 6 सितम्बर, 2001 का संकल्प सं012011/9/2000-बी.सी.सी.।

@भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 151 में दिनांक 20 जून, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 19 जून, 2003 का संकल्प सं012011/1/2001-बी.सी.सी.।

- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 9 में दिनांक 13 जनवरी, 2004 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2004 का संकल्प सं012011/4/2002-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 10 में दिनांक 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जनवरी, 2006 का संकल्प सं012011/9/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 67 में दिनांक 12 मार्च, 2007 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2007 का संकल्प सं012011/14/2004-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 232 में दिनांक 18 अगस्त, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 18 अगस्त, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 274 में दिनांक 12 अक्तूबर, 2010 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 11 अक्तूबर, 2010 का संकल्प सं012015/2/2007-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 123 में दिनांक 16 जून, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 16 जून, 2011 का संकल्प सं012015/15/2008-बी.सी.सी.।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 257 में दिनांक 8 दिसंबर, 2011 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 8 दिसंबर, 2011 का संकल्प सं012015/13/2010-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 41 में दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17 फरवरी, 2014 का संकल्प सं012015/05/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 16 में दिनांक 14 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 26 में दिनांक 23 जनवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 23 जनवरी, 2015 का संकल्प सं012011/07/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 144 में दिनांक 27 मई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 27 मई, 2015 का संकल्प सं012011/01/2015-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 191 में दिनांक 15 जुलाई, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 2015 का संकल्प सं012015/05/2011-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 234 में दिनांक 09 सितंबर, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 09 सितंबर, 2015 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 160 में दिनांक 26 मई, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 25 मई, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 15 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2016 का संकल्प सं012011/14/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 206 में दिनांक 30 जून, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 2016 का संकल्प सं012011/15/2016-बी.सी.-II
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 266 में दिनांक 11 अगस्त, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 11 अगस्त, 2016 का संकल्प सं012011/04/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 363 में दिनांक 07 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 06 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/06/2014-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 374 में दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 22 दिसंबर, 2016 का संकल्प सं012011/13/2016-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 18 में दिनांक 19 जनवरी, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 18 जनवरी, 2017 का संकल्प सं020012/01/2017-बी.सी.-II।
- @भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1, खण्ड 1, संख्या 188 में दिनांक 31 जुलाई, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिनांक 28 जुलाई, 2017 का संकल्प सं.12011/07/2017-बी.सी.-॥।

श्री/१	श्रीमती/कुमारी*		और/या उ	उनका परिवार सामा	ा <mark>न्यतया जिला/मंड</mark> ल	T*
	के गांव/कस्बा*			राज्य/संघ राज्य क्षे	त्र* में निवास करते	। हैं। यह
	किया जाता है कि वह*					
	2/93-स्था0 (एस.सी.टी.),					
	के ज्ञा. सं. 36033/3/2004-				, ,	
	लम 3 में दिए गए व्यक्तियों/व	,		•	,	
				हस्ताः	क्षर	-
				**	'पदनाम	
					की मोहर)	
				राज्य	ग/संघ शासित क्षेत्र	
स्थान तारीख						
	न हों उसे कृपया काट दें ।					
• (परकार के अंतर्गत पदों पर नि	यक्ति के लिए आवेदन करने द	गले अन्य पिछ	ड़ा वर्ग उम्मीदवारों	ंदारा विस्तत आवेर	त प्रपत्र
	किए जाने वाले वचन-बंध का	•			ararraga sarr	
_		वचन				
	राज्य/सं					
(एस.सी.टी.) में प्राप्त है। मैं यह दिनांक 8.9.1	बद्ध हूं जो कार्मिक तथा प्रशि में सम्मिलित आदेशों के अनुस ह भी घोषित करता/करती हूं 993 के उपर्युक्त संदर्भित व के का.ज्ञा. सं0 36033/3	ार सेवाओं में आरक्षण के प्रय कि मैं समय-समय पर संशोधि का.ज्ञा. सं0 36012/22/93	ोजनार्थ भारत धेत किए गए व -स्था0 (एस.र्स	ं सरकार द्वारा पिछ: कार्मिक तथा प्रशिक्षण गि.टी.), और दिनांव	ड़ा वर्ग के तौर पर ण विभाग भारत स क 9.3.2004 और	मान्यता रकार के दिनांक
) की अनुसूची के कालम 3 में ी					
					हस्ताक्षर	
					का नाम	
				अनुक्रमांव	有	
`	् न हों उसे कृपया काट दें ।					
- •	हों उसे हटा दें।					
_	मतौर से रहते/रहती हैं" का				~	
** अन्य पिछड़े	वर्ग (ओ.बी.सी.) का प्रमाण-प	त्र जारी करने के लए सक्षम प्र	प्राधिकारी वही	। रहेंगे जो अ.जा./अ.	.ज.जा. के प्रमाण-पः	त्र जारी
करने के लए स टिप्पणी 1 : अ	न्य पिछड़ी श्रेणियों का होने ब उनकी जाति का नाम (वर्त	नी सहित) ठीक वही होना च ा गया है । जिस प्रमाण-पत्र	ाहिए जैसा के	न्द्रीय सरकार द्वारा	समय-समय पर आ	धेसूचित
टिप्पणी 2 : उ	म्मीदवार अन्य पिछड़ी श्रेणी जाएगा जिससे उसके पिता कर चुका है उसे अन्य पिछ		उम्मीदवार जो स्तुत करना च	ा एक राज्य (या राज् ाहिए जो उसे उसके	त्य के किसी भाग) में 'पिता को उस राज्य	ां प्रव्रजन
टिप्पणी 3 :		: दवार द्वारा इस परीक्षा के लिए			*	य स्थिति
		भी परिवर्तन की अनुमति नर्ह	-			
		3	•		<u>परि</u>	<u>शिष्ट-॥</u>
रक्षा सेवा के दौ	ौरान विकलांग हुए उम्मीदवाः	रों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल्	ने प्रमाण-पत्र व	हा प्रपत्र: -		
	णित किया जाता है कि सं					
यूनिट -	रक्षा सेवाअ <u>ं</u>	ों में कार्य करते हुए, विदेशी ध	शत्रु-देश के साः	थ संघर्ष में/अशांतिग्र	स्त क्षेत्र* में फौजी	कार्रवाई
के दौरान विकल	लांग हुए और उस विकलांगता	के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हु	हुए।			
					हस्ताक्षर	
					पदनाम दिनांक	
					। जना जा	

परिशिष्ट-III

(क) निर्मुक्त/सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए लागू प्रमाण-पत्र का फार्म
प्रमाणित किया जाता है कि सं
जन्मतिथि है सै तक थल सेना/नौ सेना/वायु सेना में सेवा की है और वह निम्नलिखित शर्त पूरी करते हैं :-
(क) उन्होंने पांच या उससे अधिक वर्ष की सैन्य सेवा की है और सुपुर्द कार्य की समाप्ति पर निमुक्त हुए हैं न कि कदाचार या
अकुशलता के कारण बर्खास्त या कार्यमुक्त हुए हैं।
(ख) वे सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक विकलांगता अथवा अक्षमता के कारणको को निर्मुक्त हुए हैं।
स्थान:
तारीख:
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम मुहर
(ख) सेवारत कार्मिकों के लिए प्रमाण-पत्र का फार्म
(उन सेवारत कार्मिकों पर लागू होगा जिन्हें एक वर्ष के भीतर निर्मुक्त किया जाना है)
मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सं रैंकरैंक
नाम
को सशस्त्र सेनाओं में अपने विनियोजन की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने वाले हैं।
स्थान
दिनांक
कमान अधिकारी के हस्ताक्षर कार्यालय की मुहर
उक्त "ख" प्रमाण पत्र देने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित वचनबंध देना होगा :-
उम्मीदवारों द्वारा दिया जाने वाला वचनबंध:
मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन-प्रपत्र से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर चयन हो जाता है तो यह नियुक्ति, मेरे द्वारा
नियुक्त प्राधिकारी को इस आशय का संतोषजनक लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मैं सशस्त्र सेनाओं से विधिवत् रूप से
निर्मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो गया हूं और यह कि मैं समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों
में पुनर्नियोजन) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ग्राह्य लाभों का हकदार हूं।
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
स्थान
दिनांक
(ग) प्रमाण-पत्र का यह फार्म उन सेवारत आपातकालीन कमीशन अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों पर लागृ होगा जिन्होंने पहले ही सेवा की प्रारंभिक नियुक्ति अवधि पूरी कर ली है और नियुक्ति की बढ़ाई गई अवधि पर हैं ।
यह प्रमाणित किया जाता है कि सं रैंक नाम नाम जिनकी
जन्मतिथि है है से थल सेना/नौ सेना/ वायु सेना में सेवारत हैं ।
 उन्होंने पहले ही प्रारंभिक कार्यकाल की पांच वर्ष की सेवा को पूरी कर ली है और अब वे तक बढ़ाए गए
कार्यकाल पर हैं ।
 उन्हें सिविल रोज़गार में आवेदन-पत्र देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है तथा उन्हें सिविल रोज़गार मिलने पर तीन माह के
नोटिस पर कार्यमुक्त किया जाएगा ।
सक्षम प्राधिकारी का नाम और पदनाम
कार्यालय की मोहर
स्थान
दिनांक
त्रनाय-वर्ष आरो करेन करावेल राजन त्रावकारा राज्याताखरा हु:- (क) कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) के
मामले में :-
थल सेनामिलिटरी सचिव की शाखा, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
नौ सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय, नौ सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
वायु सेना - कार्मिक सेवा निदेशालय (अधिकारी), वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली ।
(ख) जे0सी0ओ0/ओ0आर0 तथा नौ सेना और वायु सेना के समकक्ष के मामले में :-
्र थल सेना विभिन्न क्षेत्रीय रिकार्ड कार्यालय द्वारा ।

<u>परिशिष्ट-IV</u>

<u>प्रपत्र – IV</u>

<u>अशक्त व</u>	<u>त्र्याक्तया द्वारा अशक्त</u>	<u>ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करन हतु आवदन-पत्र</u>
1.	नाम	
		थम नाम) (मध्य नाम)
2.		माता का नाम
3.		<u></u>
4.	^(दिनांक) आवेदन के समय आ	(माह) (वर्ष) सर्वे
		ु ·=वव /ट्रांसजेंडर
5. 6.	ालग . पुरुष/माहला पता :	प्ट्रासणडर
0.	पता . (क) स्थायी पता	•
		·
		ा (अर्थात पत्र-व्यवहार के लिए)
	•••••	
		पर निवास करने की अवधि
6.	` ,	जो लागू हो कृपया उसे चिन्हित करें)
	(i)	स्नातकोत्तर
	(ii)	स्नातक
	(iii)	डिप्लोमा
	(iv)	हायर सेकेंडरी
	(v)	हाई स्कूल
	(vi)	मिडिल
		प्राइमरी
	(vii)	अशिक्षित
•	(viii)	
8.		
9.		(ii)
10. 11.	अशक्तता की प्रकृति वट अवधि जब से अ	ः शक्त हैं : जन्म से/वर्ष से
12.	*	पूर्व में अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है हां/नही
	(ii) यदि हां, तो विव	
		धेकारी और जिले में आवेदन किया है हा परिणाम
13.	, ,	क्ष पारणाम कभी अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? यदि हां, तो कृपया सही प्रतिलिपि संलग्न करें।
		क्षमा अस्तराता प्रमाण पत्र आरा किया गया हु : याय हा, ता कृष्या तहा त्राताताच त्रासाम करा क्षणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और कोई
नानना		री छिपाई नहीं गई है अथवा गलत नहीं व्यक्त की गई है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरे
		ाई गलती पाई जाती है तो मुझे प्राप्त लाभ, यदि कोई हो, जब्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार
		र्हार्रवाई की जा सकती है।

(अशक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अथवा मानसिक अशक्तता(मेंटल रिटार्डेशन), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और एकाधिक

अशक्तता वाले व्यक्तियों के मामले में उनके विधिक संरक्षक के हस्ताक्षर अथवा बाएं हाथ के अंगठे का निशान)

.					बाए हाथ के अगूठे का निश	ान)
दिनांक :						
स्थान :						
<u>संलग्नक</u> 1.	_ '	का प्रमाण (जो लाः	गू हो कृपया उसे चिन्हित करें)			
	(क)	राशन कार्ड,	* 6. §			
	(ख)	मतदाता पहचा	न पत्र.			
	(ग)	ड्राइविंग लाइसें				
	(घ)	बैंक पासबुक,	,			
	(ड.)	पैन कार्ड.				
	(ज.) (च)	पासपोर्ट,				
	([।] / (छ)	·	त, जल और अन्य उपभोज्य बि	ल जिसमें आवेदक का पता	लिखा हो	
	(अ) (ज)	· ·			ाराचा हा, । संबंधित पटवारी अथवा किसी सरव	कारी
	(31)		टर द्वारा जारी निवास प्रमाण		(भावत १८४१) अयम मिला तर	171 <1
	(騂)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			।।स संस्थान के मामले में ऐसे संस्था	च के
	(<i>श)</i>	प्रमुख से निवास		प्रस्त ज्याताया का लिए । गय	ात तत्थाम के मामल में एत तत्था	11 A1
2.	पासपोर्ट	्रे आकार के दो नवी				
			(केवल कार्यालय	उपयोग के लिए)		
			·			
दिनांक :				जारी करने वाले प्राधिकारी	ो के हस्ताक्षर	
स्थान :				मोहर		
				<u>r - V</u> ——— —		
	(:	थंगच्छेटन गा थंगों	अशक्तता के पूर्ण रूप से स्थायी पक्षाघा	प्रमाण पत्र त के मामले में और दुखिरीन	र ठाक्यों के मामने में।	
	(गण्या रूप रूप स्थापा पदाया गाण पत्र जारी करने वाले चिवि	•		
		•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					अशक्त व्यक्ति का	
					पासपोर्ट आकार का	
					सत्यापित वर्तमान	
					फोटो (केवल चेहरा	
					दर्शाया हो)	
प्रमा	ण पत्र सं.			दिनांक :		
	प्रमाणित	त किया जाता है वि	के मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	
		जन्म तिथि	(दिनांक/माह/वर्ष) आयु	वर्ष, पुरूष/महिला	पंजीकरण सं	
स्थायी नि	ोवासी म	कान नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला र	ाज्य
	औ	र जिनका फोटोग्रा	फ ऊपर लगाया गया है, की ध	यानपूर्वक जांच कर ली है अँ	ौर मैं संतुष्ट हूं कि :	
(क)	वह निः	म्न रोग से ग्रस्त हैं:				
	 चर 	लने में असमर्थ				
	 बौ 	नापन(ड्वार्फिज्म)				
	_	ष्टेहीन	`			
<i>(</i> —)		पया जो लागू हो उ ——> ->				
` ,			निदान है।	0/ (5		
(41)		-	वशष रूप स उल्लख) उन्ह में स्थायी शारीरिक अक्षमता/		प्रतिशत (शब्दों में) उ	্ ব
2.			म स्थाया शारारिक अक्षमता <i>तः</i> प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित व			
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। (अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर)

<u>प्रपत्र –VI</u>

अशक्तता प्रमाण पत्र (एकाधिक अशक्तता के मामले में) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाण पत्र	ा स.	दिनाक			
7	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श	श्रीमती/कुमारी		पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री	
	जन्म तिथि	_ (दिनांक/माह/वर्ष) आयु वर	र्व, पुरूष/महिला _	पंजीकरण सं	
स्थायी निव	ासी मकान नं वाः	र्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला र	ज्य
	और जिनका फोटोग्राफ ऊपर	लगाया गया है, की ध्यान	पूर्वक जांच कर र्ल	ो है और मैं संतुष्ट हूं कि	
(क) वह ए				की सीमा को दिशा-निर्देशों के अनु	सार
				उल्लेख किया जाए) आकलित किया गय	
	ालिका में संगत अशक्तता के सामने	दर्शाया गया है:			
क्रम सं.	अशक्तता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/	
				मानसिक अक्षमता (% में)	
1.	चलने में असमर्थ	@			
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी				
3.	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)				
4.	बौनापन (ड्वार्फिज्म)				
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल				
	पॉल्सी)				
6.	तेजाबी हमला पीडि़त				
7.	कम दृष्टि	#			
8.	दृष्टिहीन	दोनों आंखों से			
9.	बधिर	£			
10.	श्रवण बाधित	£			
11.	वाक एवं भाषा संबंधी				
	अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज				
	डिजेबिलिटी)				
12.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल				
	डिजेबिलिटी)				
13	अध्ययन संबंधी विशिष्ट				

	अशक्तता (स्पेसिफिक लर्निंग					
	डिजेबिलिटी)					
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर					
15.	मानसिक व्याधि					
16.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक					
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)					
17.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस					
18.	पार्किंसन्स रोग					
19.	हीमोफीलिया					
20.	थैलेसीमिया					
21.	सिकल सेल रोग					
	क्त के मद्देनजर, निर्धारित दिश	ा-निर्देशों के अनुसार (दिशा-निर्देशों की संख्या और इन्हें जारी किए जाने की			
		ए), उनका समग्र शारीरिक दौर्बल्य नि				
	प्रति		3			
	ाक्षक्रा म प्रावसात ब्दों में : प्रतिशत					
_						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	अशक्तता का पुन: आकलन :					
,	(i) आवश्यक नहीं है, अथवा					
(वर्षोंमाह के उपरांत और इस	लिए यह प्रमाण पत्र			
·	तक के लिए वैध रहेगा ।		(दिनांक) (माह) (वर्ष)			
@	उदाहरण बायां/दायां/दो	नों हाथ/पैर	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
#	उदाहरण एक आंख/दोने	ां आंख				
£	उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान					
- 1. :	अावेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-					
	ा की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का			
			विवरण			
5. f	चेकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्ष	र और मोहर				
सदस्य व	ज नाम और मोहर	सदस्य का नाम और मोहर	अध्यक्ष का नाम और मोहर			

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रपत्र –VII

अशक्तता प्रमाण पत्र

(उन मामले में, जिनका उल्लेख प्रपत्र V और VI में नहीं किया गया है) (प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

> अशक्त व्यक्ति का पासपोर्ट आकार का सत्यापित वर्तमान फोटो (केवल चेहरा

प्रमाण प	पत्र सं.	दिनांव	ī :		
	प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीम	ाती/कुमारी	पुत्र/पत्न	ति/पुत्री श्री	
जन्म तिथि	थे (दिनांक /माह/वर्ष) आयु	_ वर्ष, पुरुष/महिला	पंजीकरण सं		_ स्थायी निवासी मकान
नं	वार्ड/ग्राम/ स्ट्रीट	डाकघर	जिला	राज्य	और जिनका
फोटोग्राफ	: ऊपर लगाया गया है, की ध्यानपूर्वक जांच	। कर ली है और मैं संतुष्त	ट हूं कि वह	अशक्तत	ा से ग्रस्त हैं। उनके स्थायी
शारीरिक	दौर्बल्य/अशक्तता की सीमा की प्रतिशतत	ता को दिशा-निर्देशों के	अनुसार (दिशा-निर्देशों की सं	ख्या और इन्हें जारी किए
	नारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए 			में संगत अशक्तता व	के सामने दर्शाया गया है:-
क्रम सं	. अशक्तता	शरीर का प्रभावित अं	ग निदान		
1.	चलने में असमर्थ			मानसिक अक्ष	मता (% म)
2.	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	@			
3.	<u> </u>				
	कुष्ठ उपचारित (लेपरसी क्योर्ड)				
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल				
	पॉल्सी)				
5.	तेजाबी हमला पीडि़त				
6.	कम दृष्टि	#			
7.	बधिर	€			
8.	श्रवण बाधित	€			
9.	वाक एवं भाषा संबंधी				
	अशक्तता(स्पीच एंड लैंग्वेज				
	डिजेबिलिटी)				
10.	बौद्धिक अशक्तता (इंटेलेक्चुअल				
	डिजेबिलिटी)				
11.	अध्ययन संबंधी विशिष्ट अशक्तता				
	(स्पेसिफिक लर्निंग डिजेबिलिटी)				
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर				
13.	मानसिक व्याधि				
14.	पुराने तंत्रिका रोग (क्रॉनिक				
	न्यूरॉलॉजिकल कंडीशन्स)				
15.	मल्टीपल स्क्लेरॉसिस				
16.	पार्किंसन्स रोग				
17.	हीमोफीलिया				
18.	थैलेसीमिया				
19.	सिकल सेल रोग				
(जो अशव	म्तता लागू न हो कृपया उसे काट दें।)	1	1		
2.	ू इस स्थिति के आगे और बढ़ने/न बढ़ने/	स्थिति में सधार होने/स	धार न होने की संभा	वना है।	
3.	अशक्तता का पुन: आकलन :				
	(i) आवश्यक नहीं है,				
	अथवा				
	(ii) की अनुशंसा की जाती है/ वर्षो	ैमाह के उपरांत	और इसलिए यह प्रमा	ण पत्र	
	तक के लिए वैध रहेगा ।	-		(दिनांक) (म	
@	उदाहरण बायां/दायां/दोनों हाथ	ा∕पैर			
#	उदाहरण एक आंख/दोनों आंख				
€	उदाहरण बायां/दायां/दोनों कान	г			

आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

4.

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर

(मोहर सहित)}

टिप्पणी : यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही मान्य होगा।

प्रपत्र –VIII

[अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति की सुचना]

[अशक्तता प्रमाण पत्र हतु आवदन का अस्वाकृति का सूचना]
दिनांक :
.
सेवा में,
(अशक्तता प्रमाण पत्र के आवेदक का नाम और पता)
विषय: अशक्तता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की अस्वीकृति ।
महोदय/महोदया, कृपया दिनांक के अपने आवेदन का संदर्भ लें जो निम्नलिखित अशक्तता हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया:
(iii) 3. यदि आप अपने आवेदन को अस्वीकार किए जाने से असंतुष्ट हैं, तो इस निर्णय की समीक्षा हेतु अपना अभ्यावेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं। भवदीय,
(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मोहर)

परिशिष्ट-V

ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

----- सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र स					
ादनाक 2019-20 वर्ष के लिए मान्य					
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री					
स्थायी पता ग्राम/स्ट्रीट डाकघर जिला जिला राज्य / केन्द्र शासित					
प्रदेश पिन कोड जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, का फोटोग्राफ नीचे अनुप्रमाणित किया गया है, वित्तिय वर्ष					
2018-19 तब से उनका/ उनकी परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये 08 लाख (रूपये आठ लाख केवल) से कम है, उनका/उनकी परिवार के					
पास नीचे दी गई में से कोई भी संप्रत्ति अपनी नहीं है।					
I. 5 एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि					
II. 1000 वर्ग फीट और इससे अधिक की आवासीय प्लॉट					
III. अधिसूचित निगमों में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय प्लॉट					
IV. अधिसूचित निगमों के क्षेत्र को छोड़कर 200 वर्ग गज और इससे अधिक का आवासीय प्लॉट					
2. श्री/श्रीमती/कुमारीपात्री जनजाति एवं जाति के है, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं					
अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।					
आवेदक का हाल का कार्यालय मोहर सहित हस्ताक्षर					
पासपोर्ट आकार का नाम					
अनुप्रमाणित पदनाम फोटोग्राफ					
THE INTERPRETATION OF					

- * नोट 1: आय के सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि शामिल है।
- ** नोट 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल है ।
- *** नोट 3: विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" के पास संपत्ति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट को लागू करते समय क्लब मिला दिया गया है।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2020 INSTRUCTIONS TO CANDIDATES FOR FILLING IN THE DETAILED APPLICATION FORM

The candidates should read these instructions carefully before filling in the online Detailed Application Form. The candidate should also scan their relevant original documents as listed below in 200 dpi grey scale and convert to separate pdf files up to 1 mb, before filling in the online Detailed Application Form (DAF). The pdf file so created must not be password protected and it should be uploaded along with the online submission of DAF.

- (I) Scanned copy of the certificate of age.
- (II) Scanned copy of the certificates showing his/her educational qualification prescribed in para 3(iii) of the Notice of the Examination uploaded on the website of Commission and Rule 6 of the Rules of Examination published in the Gazette of India dated 10th June, 2020 for ISS Examination, 2020 and 11th August, 2020 for IES Examination, 2020.
- (III) Scanned copy of the certificate in support of claim to belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Economically Weaker Section (EWS) (wherever applicable).
- (IV) A scanned copy of Undertaking duly signed by the candidate seeking relaxation as OBC candidate in support of claim of not belonging to creamy layer, to be given in format as mentioned in para B-1 of Appendix-I.
- (V) A scanned copy of duly filled in and signed proforma given as Annexure to Detailed Application Form by the Candidate seeking relaxation as OBC candidate.
- (VI) Scanned copy of the certificate in support of claim of age relaxation, wherever applicable.
- (VII) Scanned copy of the certificate in support of claim to being persons with benchmark disability (wherever applicable).
- (VIII) Scanned copy of the Undertaking duly signed by the candidate if already in Government Service.
- (IX) A duly filled in and signed proforma given as EWS Annexure to Detailed Application Form by the candidate seeking reservation as EWS candidate.

Duly signed copy of the online Detailed Application Form along with originals of the above certificates are required to be produced along with self certified copies of all the documents at the time of interview or within the last day of interview, which will be published in the Commission's Website in due course, failing which their candidature is liable to be cancelled. It may also be noted that in no case the last date of verification of certificates will be extended. Candidate must also note that they should upload only the scanned copies of the original documents and no document is required to be sent by post.

- 2. The information earlier given by candidates in the Application Form for the Examination through online will be cross-checked with the information given by them in this Detailed Application Form online. If there will be any serious discrepancies, their candidature is liable to be rejected / cancelled.
- 3. A candidate who claims to belong to one of the Schedule Castes, the Schedule Tribes or the Other Backward Classes should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-I** from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer of the district in which his/her parents (or surviving parent) ordinarily reside. Such an officer should have been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his/her parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself/herself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his/her own education.
- 3.1 A candidate who claims reservation benefit under Economically Weaker Section (EWS) should **upload** in support of his/her claim a scanned copy of the Income and Asset Certificate (Certificate of Eligibility) in the form given in Appendix-V.

Note 1: Candidates should note that their SC/ST/OBC/PwBD/EWS/Ex-servicemen certificate should be earlier than the closing date of application for Indian Economic Service Examination, 2020 [i.e. prior to 01.09.2020 for IES Aspirants]/Indian Statistical Service Examination, 2020 [i.e. prior to 30.06.2020 for ISS Aspirants] as prescribed in the Rule 20 of the rules for the examination.

Note 2: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time.

A certificate containing any variation in the caste name will not be accepted.

- **Note 3 :** The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one State (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally belongs.
- **Note 4:** No change in the community status indicated by a candidate in his/her application form for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 19 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2020.
- 4. A candidate must fill up and submit online Detailed Application Form along with scanned copies of the relevant documents by using the Web-site www.upsc.gov.in.
- 5. A candidate must upload along with his/her online Detailed Application Form, a scanned copy of certificate of age (indicating his/her date of birth). The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent Examination may upload a scanned copy of the Higher Secondary Examination certificate or an equivalent certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, Service Records and the like, will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificate mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must upload in addition to the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate a scanned copy of the certificate from the Headmaster/ Principal of the Institution from where he/she passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing date of his/her birth or his/her exact age as recorded in the Admission Register of the Institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with the application, the candidature of the candidate will be rejected.

- 6. A candidate must upload a scanned copy of a certificate showing his educational qualification prescribed in para 3(III) of the Notice dated 10th June, 2020 for ISS Examination, 2020 and dated 11th August, 2020 for IES Examination, 2020 respectively for the Examinations available on the website of Commission. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification.
- **Note-1:** A candidate who holds a completed secondary school certificate need to upload a scanned copy of the page containing entries relating to age only.
- **Note-2:** Candidates should note that only the date of birth as recorded in the matriculation/higher secondary examination certificate or an equivalent certificate on the date of submission of application will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.
- 7. Candidates are advised to read carefully the Rules of the Examination, which include conditions of eligibility etc. as published in the Gazette of India dated 10th June, 2020 for ISS Examination, 2020 and dated 11th August, 2020 for IES Examination, 2020 respectively. They should note that no correspondence will be entertained by the Commission from candidates to change any of the entries made in the application form. They should, therefore, take special care to fill up the application form correctly.

In case there are any illegible or misleading entries, the candidates will be responsible for the consequences thereof.

- 8(i) A candidate disabled while in the Defence Services claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate in the form given in **Appendix-II**, from the Director General Resettlement, Ministry of Defence to show that he/she was disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof.
- (ii) Ex-servicemen including Commissioned Officers and ECOs/SSCOs claiming age concession should upload a scanned copy of the certificate as applicable to them, in the form given in **Appendix-III**, from the authorities concerned.

(iii) A candidate claiming to belong to Persons with Benchmark Disability category shall be required to meet one or more of the physical requirement/abilities, as laid down in Rule 18 of the Rules for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2020. He/She must upload a scanned copy of the Certificate of Disability in Form VI/Form VI/others issued by notified Medical Authority of the Central/State Government.

NOTE: NOTWITHSTANDING THE AFORESAID PROVISION FOR AGE RELAXATION, A CANDIDATE BELONGING TO PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY WILL BE CONSIDERED TO BE ELIGIBLE FOR APPOINTMENT ONLY IF HE/SHE (AFTER SUCH PHYSICAL EXAMINATION AS THE GOVERNMENT OR THE APPOINTING AUTHORITY, AS THE CASE MAY BE, MAY PRESCRIBE) IS FOUND TO SATISFY THE REQUIREMENTS OF PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE INDIAN ECONOMIC SERVICE/INDIAN STATISTICAL SERVICE TO CANDIDATES BELONGING TO THE PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITY CATEGORY BY THE GOVERNMENT.

9. The candidates should note that their candidature for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination, 2020 will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any stage before or after the examination it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

Note: Candidates shortlisted for interview on the basis of written result will be required to upload scanned copies of documents/relevant certificates in support of claims made in the on-line application as and when demanded by the Commission.

Originals of the above certificates are required to be produced at the time of interview along with a set of self certified documents.

- 10. Any online Detailed Application Form received without scanned copies of all or some of the enclosures will entail cancellation of candidature. Any missing enclosures sent subsequently by the candidate will not be entertained. The candidates must ensure that the Application Form is properly filled in through online
- 11. In all communications with the Commission regarding this application, the candidate should mention the name of the Examination, his Full Name, Roll Number, Registration I.D. (11 digits) and date of birth.
- 12. Persons in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises are required to **upload** an undertaking (as in the **Declaration in the Detailed Application Form**) that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the Examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled. (**Please refer Rule 8 of the Indian Economic Service/Indian Statistical Service Examination Rules, 2020**).

The form of the Undertaking to be uploaded by the candidate:

The form of the observating to be appoauca by the candidate.
UNDERTAKING (for Government Employees) I have intimated my Head of Office / Department in writing on
that I have applied for the Indian Economic Service/Indian Statistical Service
Examination, 2020.
(Signature)
Name:
Roll No
NOTE: All candidates in Government service, whether in a permanent or in
temporary capacity or as work charged employee, other than casual or daily rated
employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an
undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department
that they have applied for the Examination. Candidates should note that in case a

APPENDIX-I

communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

(A) The form of certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* son/ daughter* of
of village/town* in District/Division*
of the State/Union Territory* belongs to the caste/tribe*
which is recognised as a Schedule Caste/Schedule Tribe* under:-
the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950@
the Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951@
the Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951@
[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956,
the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of
Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 the State of Mizoram
Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu
(Reorganisation) Act, 1987.]
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956@
the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended
by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976 @
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962@
the Constitution (Dadar and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962@
the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964@
the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@
the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@
the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989@
the Constitution (SC) Order (Amendment), Act, 1990@
the Constitution (ST) Order (Amendment), Act, 1991@
the Constitution (ST) Order (Second Amendment), Act, 1991@
the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment), Act, 2002 @
the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment), Act, 2002
the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment), Act, 2002 @
%2. Applicable in the case of Schedule Castes/Scheduled Tribes persons who have
migrated from one State/Union Territory Administration to another.
This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes
certificate issued to Shri/Shrimati* Father/Mother of Shri/
Shrimati/Kumari* of village/town* in District/Division*
of the State/Union Territory* who belongs to the
caste/tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe in the State/Union
Territory* of issued by the
Dated
%3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily
reside(s) in village/town*
State/Union Territory* of
Signature
**Designation
**Designation(With Seal of Office)
**Designation(With Seal of Office) State/Union Territory*
**Designation

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary

Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
 - (iii) Revenue Officers not below the rank of tehsildar.
- (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his/her family normally resides.
 - (v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep)

(B) The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.186 dated the 13th September, 1993.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19.10.94 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.163 dated 20.10.1994.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24.5.95 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.88 dated 25.5.1995.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.60 dated 11th March, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated 11th December, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.236 dated 12th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.239 dated 17th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.241 dated the 27th October, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.270 dated the 6th December, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/36/99-BCC dated the $4^{\rm th}$ April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.71 dated the $4^{\rm th}$ April, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/44/99-BCC dated the $21^{\rm st}$ September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.210 dated the $21^{\rm st}$ September, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001`published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.246 dated the 6th September. 2001.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/1/2001-BCC dated the 19^{th} June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.151 dated the 20^{th} June, 2003.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/4/2002-BCC dated the 13^{th} January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No. 9 dated the 13^{th} January, 2004.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/9/2004-BCC dated the 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.10 dated the 16th January, 2006.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2004-BCC dated the 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.67 dated the 12th March, 2007.

- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.232 dated the 18th August, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/2/2007-BCC dated the 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.274 dated the 12th October, 2010.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/15/2008-BCC dated the 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.123 dated the 16th June, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated the 08th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.257 dated the 08th December, 2011.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/05/2011-BC-II dated the 17th February, 2014 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.41 dated the 17th February, 2014.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/04/2014-BC-II dated the 14th January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.16 dated the 14th January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/07/2014-BC-II dated the 23rd January, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.26 dated the 23rd January, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/01/2015-BC-II dated the 27th May, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.144 dated the 27th May, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12015/05/2011-BC-II dated the 14th July, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.191 dated the 15th July, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 09th September, 2015 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.234 dated the 09th September, 2015.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 25th May, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.160 dated the 26th May, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/14/2016-BC-II dated the 13^{th} June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 15^{th} June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/15/2016-BC-II dated the 30th June, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.206 dated the 30th June, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/04/2014-BC-II dated the 11th August, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.266 dated the 11th August, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/06/2014-BC-II dated the 06th December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.363 dated the 07th December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/13/2016-BC-II dated the 22^{nd} December, 2016 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.374 dated the 22^{nd} December, 2016.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.20012/01/2017-BC-II dated the 18th January, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.18 dated the 19th January, 2017.
- @ Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.12011/7/2017-BC-II dated the 28th July, 2017 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-1, No.188 dated the 31st July, 2017.

Shri/Shrimati/Kumari*		ar	nd/or* his/	her* family	ordinarily
reside(s) in village/town*	of	Dis	strict/ Divisi	on* of the Sta	ate/Union
Territory* of	This is also	to certify that	he/she* do	es not belor	ng to the
persons/sections* (Creamy Layer	r) mentioned in co	lumn 3 of the Sc	hedule to th	ie Governmen	it of India,
Department of Personnel &	Training O.M. N	No.36012/22/93-	-Estt(SCT)	dated 8.9.19	93, O.M.
No.36033/3/2004-Estt.(Res.) da	ted 9th March, 2	004 and O.M. N	No.36033/3/	'2004-Estt.(R	es.) dated
14th October, 2008 and O.M. No.	36033/1/2013-Es	tt.(Res.) dated 27	th May, 201	3.	

Signature	
**Designation	
(With Seal of Office) State/Union Territory	

Place:
Date:
Form by Other Backward Class candidates applying for appointment to posts under
the Government of India.
<u>UNDERTAKING</u>
I
May, 2013 as amended from time to time.
Signature Name of the Candidate Roll No
*Please delete the words which are not applicable.
@Strike out whichever is not applicable.
NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.
Note 1: Candidates claiming to belong to OBCs should note that the name of their caste (including its spellings) as indicated in their certificates, should be exactly the same as published in the lists notified by the Central Government from time to time. A certificate containing any variation
in the caste name will not be accepted. Note 2: The OBC claim of a candidate will be determined in relation to the State (or part of the State) to which his/her father originally belongs. A candidate who has migrated from one state (or part of the State) to another should, therefore, produce an OBC certificate which should have been issued to him/her based on his father's OBC certificate from the State to which he (father) originally
Note 3: No change in the community status already indicated by a candidate in his/her application form for this examination will be allowed by the Commission except in the circumstances mentioned in the Rule 20 of the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service Examination Rules, 2020.
APPENDIX-II
THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATE WHO GOT DISABLED WHILE IN DEFENCE SERVICE IS:-
Certified that No Rank of Unit was
disabled while in the Defence Services in operations during hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.
Signature Designation
Date
*Strike out whichever is not applicable.
APPENDIX-III
(A) FORM OF CERTIFICATE APPLICABLE FOR RELEASED/RETIRED PERSONNEL.
It is certified that No Rank Name whose
date of birth is has rendered service from to in Army/ Navy/Air Force and he fulfils the following condition : –
(a) Has rendered five or more years military service and has been released on completion of assignment other- wise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(b) Has been released on account of physical disability attributable to military service or on invalidment on
Station:
Date:
Signature and Designation of the Competent Authority

(Applicable for ser I hereby certify	ving personnel w that, according				
Rank	_ Name		is se	rving in the A	Army/Navy/Air
Force from			e specified to	erm of his er	igagement with
the Armed Forces o		·•			
Place:					
Date:	•••••		a :		1' 0'0"
			Signa	iture of Comn	nanding Officer
Condidata famiabia	ma contificate Des	ah assa sssi11 la assa	. 4	fa11 ai.a. a	Office Seal
Candidate furnishing	ng certificate B as UNDERTAKING 1				iertaking :-
I understand th	nat if selected on				n to which this
application relates,					
the satisfaction of the					
from the Armed For					
terms of the Ex-serv		yment in Centra	al Civil Servic	ce and Posts)	Rules, 1979, as
amended from time	to time.			~ :	
Dlassa				Signat	ure of candidate
Place : Date :					
	CERTIFICATE AI	PPLICABLE FO	R SERVING	ECOs/SSCO	Os WHO HAVE
ALREADY COMPL					
ASSIGNMENT.					
	at No Ra				whose date of
birth is i					
2. He has already of			of five years o	n	and is on
extended assignmen			1	1 1: 11 1	.1
3. There is no object months notice on sell					eleased on three
Station:	rection from the da	ic of receipt of e	oner or appoin	itiliciit.	
Date:					
				Name and De	esignation of the
				Com	petent Authority
					SEAL
	are competent to is			:-	
	ommissioned Office				
	ary Secretary Brane storate of Personnel				
	Directorate of Person			Delhi.	
	CO/ORs and equiva				
	arious Regional Rec				
Navy - BABS					
Air Force – A	Air Force Records N				
		APPENDIX-I	<u>v</u>		
Amuliantian	for Obtaining Con	FORM- IV	.:1:4 b Domo	ana mith Dia	-1-:1:4:
Application	for Obtaining Cer	uncate of Disa	omity by Pers	ons with Disa	abilities
(1) Name :					
(Sur	name) ne:/ (Date)	(First Name)	(M:	iddle Name)	
(2) Father's Nam	ne:	Mother's	Name:	14410 144110)	
(3) Date of Birth	ı :/	/			
	(Date)	(Month)	(Year)		
(4) Age at the tir	me of application	:	year	S	
	emale/Transgende	er			
(6) Address:				_	
(a) Permane	nt address	(b) Current Ado	dress (i.e. for	communica	tion)
(-) D 1 .					
	nce when residing				
	Status (please tick Post Graduate	s as applicable)			
(i) (ii)	Graduate				
	Diploma				
(iv)	Higher Secondary	У			
* *					

(v) High School		
(vi) Middle		
(vii) Primary		
(viii) Non-literate		
(8) Occupation		
(9) Identification marks (i)	(ii)	
(10) Nature of disability:	in ac wasn	
(11) Period since when disabled: From Birth//s (12) (i) Did you ever apply for issue of a certification		
(13) yes/no	tte of disability in the pas	St
(ii) If yes, details:		
(a) Authority to whom and district in v (b) Result of application	vhich applied	
(14) Have you ever been issued a certificate of cenclose a true copy.	lisability in the past? If y	es, please
Declaration : I hereby declare that all particulars s	tated above are true to	the best of my
knowledge and belief, and no material information		
further state that if any inaccuracy is detected in forfeiture of any benefits derived and other action as	n the application, I sha	
	(signature or left thumbof person with disability her legal guardian persons with intellectual autism, cerebral palsy a disabilities, etc)	y, or of his/ in case of al disability,
Date:		
Place:		
Enclosures:		
 Proof of residence (Please tick as applied) 	cable).	
(a) ration card,		
(b) voter identity card,		
(c) driving license,		
(d) bank passbook,		
(e) PAN card,		
(f) passport,		
(g) telephone, electricity, water and	any other utility bill	indicating the
address of the applicant,		
(h) a certificate of residence issu		
cantonment board, any gazetted of	fficer, or the concerned P	atwari or Head
Master of a Government school,		
(i) in case of an inmate of a residential institution	_	
mentally ill, and other disability, a certificate of resid	ence from head of such i	nstitution.
2. Two recent passport size photographs		
(For office use or	-1xt)	
Date:	iiy)	
	ignature of issuing autho Stamp	ority
Form-V	Stamp	
Certificate of Disa	bility	
(In cases of amputation or complete permanent para	•	m and in case
of blindness)	<u> </u>	3444
(Name and Address of the Medical Author	ority issuing the Certifica	te)
,		Recent
		passport size
		attested
		photograph
		(Showing face only) of the
		person with
		disability.

Certificate No.

Date:

Th	is is to certify that	I have carefully ex	xamined Shr	i/Smt./Kum.		
son/wife/d	laughter of Shri le	I	Date of Birth	(DD/MM/YY	Z)	Age years,
male/fema	le	registration N	0.	perma	nent resident	of House No.
<u></u>	Ward/Village/St , whose	reet	Post	Office	Dist	rict
State	, wnose	e photograph is air	ixed above,	and am satisi	ied that:	
	is a case of:					
	comotor disability					
	varfism					
	ndness	ahla)				
(P) the died	ease tick as applica gnosis in his/her c	ablej				
(A) he	/she has	0/- (in figure)		nercent (in	words) nermos	nent locomotor
disability/	dwarfism/blindnes	o in relation to	his/her	percent (iii	of hody) as ne	er midelines (
	number and date o				n body) as pe	i guidennes (
	e applicant has su				residence:-	
	o applicalle liao oa			re as proor or	10014011001	
Nature of I	Document	Date of Issue	Ι	Details of auth	nority issuing co	ertificate
					<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	
-	<u></u>					
Signature/	thumb		(Sig	nature and S	Seal of Authorise	ed Signatory of
impression			, ,	,		lical Authority)
person in						
favour cer						
disability is	s issued					
		F	orm - VI			
			ate of Disabi	lity		
		(In cases of				
	(Name and	Address of the Me			e Certificate)	
	`			· ·	,	
					Recent	passport
					size	attested
					photogr	
					(Showin	
						of the
					person	
					disabili	
					disabili	cy.
Certificate	No				Date:	
	is is to certify	that we have	ve carefull	v examined		iim
111	15 15 10 001111	son/wife/daughte	er of Shri	y Cammica	Jimi, Jime., K	Date of Birth
(DD/MM/Y	/Y) Age	vears, male	/female	. Re	gistration No.	sate of Birth
permanent	resident of Hou	ase No.	Ward	1/Village/Str	eet	Post Office
P	District	State	. who	ose photogra	ph is affixed a	bove, and am
satisfied th			,	F8	F	
	is a case of Multip	le Disability. His/l	her extent of	permanent n	hysical impairr	nent/disability
	evaluated as per g					
	for the disabilities					
below:						
S. No	Disability	Affected	part Diag	nosis	Permanent	physical
		of body			impairment/n	
					disability (in %	%)
1.	Locomotor disab					
2.	Muscular Dystro	phy				
3.	Leprosy cured					
4.	Dwarfism					
5.	Cerebral Palsy					
6.	Acid attack Viction	n				
7.	Low vision	#				
8.	Blindness	#				
9.	Deaf	£				
10.	Hard of Hearing	£				
11.	Speech and La	nguage				
L	disability					
12.	Intellectual Disal	oility				
13.	i e					

		Disability				
	14.	Autism Spectrum				
		Disorder				
	15.	Mental illness				
	16.	Chronic Neurological				
		Conditions				
	17.	Multiple sclerosis				
	18.	Parkinson's disease				
	19.	Haemophilia				
	20.	Thalassemia				
	21.	Sickle Cell disease				
	(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines					
•	(number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows: -					
	In figures : percent					
Ir	In words : percent					
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.						
3.	3. Reassessment of disability is:					
	(i) not necessary,					
	or					

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ----

(MM) (YY)

(DD) e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence.						
Nature of document	Date of issue	Details	of	authority	issuing	
		certificate				

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name	and	Seal	of	the
		Chairperson				

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form - VII

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms V and VI) (Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

> Recent passport size attested photograph

							(Showing only) of the 1 with disabilit		
C	ertificate l	No.	Date:						
T1	his is to c	ertify that I have carefully o	examined Si	hri/Sm	nt/Kum				
sc	on/wife/d	aughter of Shri			Date of Birth (I	DD/MN	M/YY)	Age	
ye	ears, male	e/female Registratio	n No		permanent	residei	nt of House	No	
W	ard/Villa	ge/Street	Post Off	ice _		District			ate
_		, whose photograph	is affixed	above,	and am satis	fied th	nat he/she i	s a case	O
		disabil	ity. His/her	exten	t of percentage	physic	al impairme	nt/disabi	lity
ha	as been e	valuated as per guidelines	(numb	er and	date of issue o	f the g	uidelines to	be specifi	ed)
aı	nd is show	vn against the relevant disa	ability in the	table :	below:-				
	S. No	Disability	Affected	part	Diagnosis	Perm	anent	physica	al
			of body			impa	irment/ment	al	
						disab	oility (in %)		
	1.	Locomotor disability	@						
	2.	Muscular Dystrophy							
	3.	Leprosy cured							
	4.	Cerebral Palsy							
	5.	Acid attack Victim							

	T	1	ш	1			
6. 7.	Low vision Deaf		#				
8.	Hard of Hearing		€				
9.	Speech and Langu	age	C				
	disability	uge					
10.	Intellectual Disability						
11.	Specific Learn	ning					
	Disability						
12.	Autism Spectr	um					
	Disorder						
13.	Mental illness						
14.	Chronic Neurolog	ical					
1.5	Conditions						
15. 16.	Multiple sclerosis Parkinson's disease						
17.							
18.	Thalassemia						
19.	Sickle Cell disease						
	ke out the disabilities v	zhich	are not annlicab	le)			
	ve condition is progress				ove/not likely	to improve	
	sment of disability is:	110/11	ion progressive,	mely to mip	over not inter	to improve.	
(i) not nece	· ·						
	nmended/after	years	S	months, and	therefore this	certificate	shall be
valid till (Di				ŕ			
@ - eg. Left	/Right/both arms/legs						
	le eye/both eyes						
	/Right/both ears						
	icant has submitted th			as proof of r			
Nature of d	ocument	Date	e of issue			authority	issuing
					certificate		
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Chief Medical Officer/Medical Superinter Head of Government Hospital, in ca					ersigned eal of the endent/ case the		
	ase this certificate is i		d by a medical a	not uthority who	a Government o is not a Gov	t servant (w	ith seal)}
			FORM - V	III			
	[Intimation of r	ejecti	ion of Application		te of Disability	.]	
		3			-5	•	
			Date	d:			
To,							
	me and address of app		t				
	Certificate of Disability		anto of Diaghilit				
Sub: Reject	tion of Application for C	CI (III)	cate of Disability				
Ple	ase refer to your app	licatio	on dated f	or issue of	a Certificate o	of Disability	for the
following di	isability:						
Authority of to issue a (i)	rsuant to the above a on, and I regre Certificate of Disability	t to i	inform that, for t				
(ii) (iii)							
3. In	case you are aggrie				application, y	ou may r	epresent
to	, requesting for	16/16	ew of this decision	.1.		Yours fa	aithfully,

Yours faithfully, (Authorised Signatory of the notified Medical Authority) (Name and Seal)

APPENDIX-V

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY EWS CANDIDATES

waine & Address of the additionty issuing the certificate)

	Certificate No	ECONOMICAL	CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY LLY WEAKER SECTIONS Date:				
		VALID FOR TH	HE YEAR 2019-20				
This is to certify that Shri/Smt./Kumari							
	Recent Passport Size attested photograph of the applicant		Signature with seal of Office				

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

***Note 3: The property held by a "Family' in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

^{**}Note 2: The term 'Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years